अधिसूचना अतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1974)

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्ब्र, 1982

‘क्रमांक 8051-इक्कीस-बी- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं 2) की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा पदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा पुलिस के आपराधिक अन्वेषण विभाग (आर्थिक अपराध खण्ड) मध्यप्रदेश, भोपाल को आपराधिक अन्वेषण विभाग (आर्थिक अपराध खण्ड) पुलिस थाना भोपाल के नाम से पुलिस थाना घोषित करती है जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर निम्नलिखित के अधीन दण्डनीय अपराधों के प्रयोजन के लिये होगी :-

मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1982 (क्रमांक 36 सन् 1982)